राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

कमांक:प.8(ग)(।)नियम/डीएलबी/18/6547 जयपुर,दिनांक: 20/03/18

अधिसूचना

इस विभाग के समसंख्यक आदेश कमांक PA/CAO/DLB/Revi.Pay/2018/361 दिनांक 14.03.18 की निरन्तरता में एवं आदेश कमांक एफ.12(मांगे)/डीएलबी/89/34-270 दिनांक 18.01.1989 के अनुसरण में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (राजस्थान अधिनियम 18 सन् 2009) की धारा 337 की उपधारा (2) के खण्ड (xii) सपठित राजस्थान नगरपालिका सेवा नियम 1963 के नियम 32 व 33 एवं राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा) नियम, 1963 के नियम 32 व 33 तथा राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ श्रेणी सेवा) नियम, 1964 के नियम 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 30.10. 2017 एवं 09.12.2017 को सेवारत राजस्थान नगरपालिका सेवा के अधिकारियों तथा राजस्थान नगरपालिका अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा एवं राजस्थान नगरपालिका चतुर्थ श्रेणी सेवा के कर्मचारियों के वेतनमान स्वीकृत करने तथा सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन निर्धारण के लिये यथा संशोधित निम्न शर्तो के साथ प्रभावशील किया जाता है:-

1. नगरपालिका/परिषदो/निगमों में कार्यरत अधिकारियों, अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कार्मिको के पुनरीक्षित वेतनमान, राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 में राज्य कर्मचारियों के लिये निर्धारित वेतनमान (श्रृंखलाओं) के समतुल्य होगा।

2. वेतन निर्धारण के प्रयोजनार्थ राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 यथा संशोधित लागू होंगे किन्तु सातवें वेतन आयोग के तहत राजस्थान नगरपालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवाओं के अधिकारियों तथा राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा एवं राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ श्रेणी) सेवा के कार्मिकों के वेतन निर्धारण के कार्य हेतु नगर निगम /परिषद/पालिकाओं में कार्यरत लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी-1 प्राधिकृत होगे। जहां लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी-1 कार्यरत नहीं है, उस स्थिति में संबंधित नगर निगम/ परिषद/पालिका बोर्ड के निकटस्थ नगरीय निकायों में पदस्थापित लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी-1 अथवा संबंधित उप निदेशक (क्षेत्रीय) कार्यालय में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी-1 अथवा निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग कार्यालय में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी-1 नियमानुसार वेतन निर्धारण हेतु प्राधिकृत होगें। प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जॉच तथा अनुमोदित किये गये वेतन नियतन विवरण की शत प्रतिशत जॉच महालेखाकार व स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के संपरीक्षा दलों द्वारा की जाने के अध्यधीन होगी।

3. जिन मामलो में पालिका कर्मचारियों का कोई पद प्रचलित वेतनमानों के अनुरूप नहीं है। ऐसे मामलों में विभागीय स्तर पर गठित कमेटी द्वारा निर्णय लिया जावेगा जो कि अंतिम होगा।

4. जहां तक एरियर भुगतान का प्रश्न है, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो आदेश जारी होंगे वे निकाय कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।

5. उक्त आदेश राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी होने वाले आदेशो के अध्यधीन रहेगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

कमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/18/6548–6988 दिनांकः 20/03/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर
02. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
03. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
04. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राज0
05. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राज0।
06. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
07. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर
08. उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान
09. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु
10. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
11. अधीक्षक, केन्दीय लेखन एवं मुद्रणालय,राज0जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

D:\DLB WORK\Qayam\5.Adhisuchna.docshahzad/Document